पुलिस की दो टूक : 31 दिसंबर को बिना आईडी नहीं मिलेगी एंट्री

- नववर्ष के आयोजन को लेकर पुलिस सख्त
- पुलिस ने होटल-बार संचालकों की बैठक लेकर दी सख्त हिदायतें
- ड्रोन, कैमरे और पुलिस बल के जरिये हुड़दंगियों पर रखी जाएगी नजर

नव भारत न्यूज

इंदौर. 31 दिसंबर और नववर्ष की रात शांति, सुरक्षा, ट्रैफिक संचालन, ध्वनि नियंत्रण और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने साफ कर दिया है कि नियमों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. पुलिस ने होटल, पब, रेस्टोरेंट, बार और फार्म हाउस संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आयोजन पूरी तरह कानून के दायरे में ही हों, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

आगामी नववर्ष को देखते हुए शहर में सुरक्षा, शांति व्यवस्था, यातायात संचालन और ध्वनि नियंत्रण को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है. इसके चलते होटल, रेस्टोरेंट, बार, पब, लाउंज, फार्म हाउस और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ पुलिस ने बैठक की. बैठक में साफ शब्दों में कहा गया कि 31 दिसंबर की रात ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और पुलिस बल के जरिए निगरानी रखी जाएगी. नशाखोरी, हुड़दंग, नियमों के उल्लंघन या अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों को सीधे हिरासत में लिया जाएगा. अधिकारियों ने सख्त हिदायत दी कि बिना अनुमति लाइव म्यूजिक, डीजे या डांस शो का आयोजन नहीं किया जा सकेगा. निर्धारित समय के बाद शराब परोसना प्रतिबंधित रहेगा. नाबालिगों को शराब परोसना या एंट्री देना गंभीर अपराध माना जाएगा. तेज आवाज में संगीत, अश्लील नृत्य, हुड़दंग और झगड़े को पूरी तरह रोकना होगा.

महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता- बैठक में निर्देशित किया गया कि आयोजन में महिलाओं से संबंधित किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाए, अशोभनीय हरकतों को तत्काल रोकना होगा. सहायता और शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना और महिला सुरक्षाकर्मियों की तैनाती अनिवार्य रहेगी.

अवैध शराब या नशा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं

पुलिस अधिकारियों ने संचालकों को निर्देश दिए कि तय समय सीमा का पालन किया जाए, तेज आवाज में संगीत न बजाया जाए, अवैध शराब या नशे को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पार्किंग, ट्रैफिक और आसपास के रहवासियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी. बैठक में जोन 02 क्षेत्र के सभी प्रमुख बार, पब, रेस्टोरेंट, होटल, लॉज, फार्म हाउस और मैरिज गार्डन के करीब 150 प्रतिनिधि मौजूद रहे.

एंट्री गेट पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था, बिना आईडी प्रवेश नहीं

पुलिस अधिकारियों ने बैठक में कहा कि सभीआयोजन स्थलों पर एंट्री गेट पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए, हर व्यक्ति के आईडी कार्ड की जांच की जाएगी. आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आईडी की फोटो कॉपी और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. बैग चेकिंग, सुरक्षा जांच और आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देना अनिवार्य रहेगा. साथ ही सीसीटीवी कैमरे चालू रखने और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं.

पिता-पुत्र ने युवक पर किया हमला

इंदौर. सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने से रोकना एक युवक को भारी पड़ गया. गार्डन में नशा करने पर टोके जाने से नाराज पिता-पुत्र ने मिलकर पड़ोसी पर जानलेवा हमला कर दिया. घटना तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की माउंट बर्ग कॉलोनी की है. फरियादी मनजीत पिता विजय कुमार हंसारी ने पुलिस को बताया कि कॉलोनी के गार्डन में जयराज बैठकर शराब पी रहा था. सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते देख मनजीत ने उसे वहां से जाने के लिए टोका. इस बात से जयराज नाराज हो गया और गाली गलौज करने लगा. जब मनजीत ने इसका विरोध किया तो जयराज अपने पिता राजेश सिरसाठ को साथ ले आया. दोनों आरोपियों ने मनजीत को घेर लिया और गालियां देते हुए उस पर हमला कर दिया.

लिवइन में रह रही युवती ने फांसी लगाकर किया सुसाइड

- लिवइन पार्टनर हिरासत में, घटना से पहले दोनों में हुई थी कहा-सुनी
- रीवा की रहने वाली तथा उज्जैन में पढ़ाई कर रही थी छात्रा
- एक सप्ताह से सांईकृपा कॉलोनी में दोस्त के साथ रह रही थी

नव भारत न्यूज

इंदौर. खजराना थाना क्षेत्र में लिव-इन में रह रही एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवती एक सप्ताह पहले इंदौर में सांईकृपा कॉलोनी में दोस्त के पास रहने आई थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दोस्त को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है.

खजराना थानांतर्गत सांईकृपा कॉलोनी में एक युवती का शव देर रात कमरे में फंदे पर लटका मिला. युवती एक सप्ताह से लिवइन में रह रही थी. घटना के बाद युवती का दोस्त उसे एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल से सूचना मिलने पर खजराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. खजराना थाना प्रभारी मनोज सेंधव ने बताया कि रात करीब 11.30 बजे एमवाय अस्पताल से सूचना मिली थी कि 22 वर्षीय जागृति कर्मा को उसका दोस्त हर्ष पुत्र रोहित मिश्रा अस्पताल लेकर आया है. हर्ष ने पुलिस को बताया कि रात करीब 9 बजे उसने जागृति को कमरे में फंदे पर लटका हुआ देखा था.युवती के परिजनों के आने का इंतजार-पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना दे दी है. जागृति के पिता शिक्षक हैं और परिवार में एक बहन और एक भाई है. पुलिस अब हर्ष से विस्तृत पूछताछ कर रही है और परिजनों का इंतजार कर रही है. परिजनों के इंदौर पहुंचने के बाद उनके बयान दर्ज किए जाएंगे. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

उज्जैन के एमआईटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी जागृति

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जागृति उज्जैन के एमआईटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और मूल रूप से रीवा की रहने वाली थी. वह एक सप्ताह पहले इंदौर में अपने दोस्त हर्ष के पास रहने आई थी. हर्ष मूल रूप से देवास का रहने वाला है. पूछताछ में हर्ष ने पुलिस को बताया कि घटना से पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. हालांकि, आत्महत्या के कारणों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है.

किचन में खून से लथपथ मिला महिला का शव

- निरंजनपुर में हुई घटना
- जांच में जुटी पुलिस

नव भारत न्यूज

इंदौर. निरंजनपुर इलाके में देर रात एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया, जिसकी जांच में हत्या की पुष्टि हुई है. महिला अपने ही घर के किचन में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाई गई थी. सिर पर भारी वार के निशान मिले हैं, जबकि घटना के बाद से पति फरार है. पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

लसूड़िया थाना प्रभारी तारेश कुमार सोनी ने बताया कि बुधवार रात अस्पताल से 45 वर्षीय महिला की मौत की सूचना मिली थी. जांच में पता चला कि महिला अपने बेटों के साथ रहती थी. उसके दोनों बेटे काम पर गए हुए थे. रात में जब वे लौटे तो महिला सामने के कमरे में नहीं मिली. किचन में जाकर देखा तो वह जमीन पर पड़ी थी और सिर से खून बह रहा था. उसी दौरान परिवार के लोगों ने महिला के पति को घर से बाहर की ओर तेजी से जाते देखा.

पति का चल रहा था दूसरी महिला से अफेयर

परिजन और आसपास के लोगों की मदद से महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. गुरुवार को आई शार्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर पर भारी वस्तु से हमला किए जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या मानते हुए जांच तेज कर दी. सोनी ने बताया कि आरोपी पति घटना के बाद से फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों को लगाया है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी के किसी दूसरी महिला से संबंध थे, जिसको लेकर घर में अक्सर विवाद होता रहता था.

एक नजर में

रस्साकशी प्रतियोगिता में इंदौर उपविजेता

इंदौर. पोलोग्राउंड स्थित मैदान पर आयोजित 47वीं अंतर क्षेत्रीय रस्साकशी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर इंदौर क्षेत्र की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया. प्रतियोगिता में सात टीमों ने भाग लिया, जिसमें श्रीसिंगा पावर जनरेशन प्रथम और उज्जैन क्षेत्र तृतीय स्थान पर रहा. विजेताओं को अधिकारियों द्वारा पुरस्कार प्रदान किए. इंदौर क्षेत्र के खिलाड़ी अमित जैन को इमर्जिंग प्लेयर चुना. बेहतर प्रदर्शन के आधार पर इंदौर क्षेत्र के छह खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन किया.

अम्बेडकर मेमोरियल सोसायटी मामले में भोपाल में सुनवाई आज

महू. संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि महू स्थित राष्ट्रीय स्मारक की संचालक संस्था डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल सोसायटी के प्रबंधकीय विवाद में धारा 32 के तहत समिति की जांच, रिकॉर्ड जब्ती और प्रशासक नियुक्ति के मामले ने अब गति पकड़ ली है. इस अतिसंवेदशील विवाद में संस्था के 23 में से 19 अर्थात दो तिहाई बहुमत वाले सदस्यों द्वारा समिति की जांच की मांग पर कार्रवाई नहीं होने के चलते उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटी भोपाल ने मामले में आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी है. पहली सुनवाई में सदस्यों द्वारा 17 नवंबर को अभ्यावेदन जमा करने के बाद 12 दिसंबर को आयोजित पहली आधिकारिक सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपने वकीलों के साथ उपस्थित होकर दावे और प्रमाण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसमें पंजीयक ने समिति संचालन के विवादित बिंदुओं के दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेकर प्रारंभिक कार्यवाही के बाद अगली पेशी के लिए 26 दिसंबर तारीख तय की है, जहां इस विवाद के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय या निर्देश आने की संभावना है. इस प्रकरण को लेकर प्रशासनिक गलियारों सहित देशभर के अंबेडकर अनुयायियों की नजरें टिकी हुई हैं.

गायत्री महायज में प्रतिदिन होंगे यज्ञ, वेद कथा और व्याख्यान

महू. नगर में प्रति दो वर्ष में होने वाले सनातन धर्म के सही स्वरूप के अनुसार यज्ञ, वेद कथा एवं सामाजिक व राष्ट्र की ज्वलन्त समस्याओं पर विद्वान वक्ताओं के व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे. आयोजन को लेकर आर्य समाज सभा भवन में गुरुवार को दोपहर 3 बजे गायत्री महायज्ञ समिति की बैठक समिति के कार्यकारी अध्यक्ष आर्य राधेश्याम बियानी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. बैठक में महू शहर, किशनगंज, बोरखेड़ी, गुजरखेड़ा, शान्ति नगर, महू गांव, कोदरिया व इन्दौर आदि क्षेत्रों से महिलाएं एवं गण्यमान्य जनों ने भाग लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की. कार्यक्रम संयोजक प्रकाश आर्य ने शोभायात्रा समिति, यज्ञ समिति, व्यवस्था, कार्यक्रम संचालन, भोजन, मंच संचालन समिति के कार्यों पर प्रकाश डाला. गायत्री महायज्ञ मोहन टाकीज के पास उत्तम गार्डन एवं उसके सामने रामबाग में 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक आयोजित होगा. कार्यक्रम में यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य योगेन्द्र याज्ञिक (होशंगाबाद), अंतरराष्ट्रीय विद्वान वक्ता डॉ. वागीश शर्मा (ऐटा उत्तर प्रदेश), विदुषी आचार्य प्रीति विमर्शनी, आचार्या सुलभा शास्त्री, भजनोपदेशक मोहित शास्त्री व महर्षि आर्ष कन्या गुरूकुल मोहन बड़ोदिया की कन्याएं मंत्र पाठ करेंगी.

लापता ऑटो चालक का सुनसान इलाके में मिला शव

इंदौर. बच्चों को स्कूल छोड़ने गया राजेन्द्र नगर क्षेत्र निवासी एक ऑटो चालक लापता हो गया. बाद में उसका शव नेनौद इलाके में सुनसान स्थान पर मिला. शव के पास ही उसका ऑटो खड़ा मिला, लेकिन दो दिन तक किसी भी थाने की पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी. पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर जांच शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान 52 वर्षीय राजेन्द्र यादव के रूप में हुई है, जो सुख निवास, केट रोड का निवासी था. परिजनों ने पुलिस को बताया कि राजेन्द्र 23 दिसंबर की सुबह रोज की तरह बच्चों को स्कूल छोड़ने निकला था, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा. दिनभर तलाश के बाद परिवार राजेन्द्र नगर थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी दर्ज न कर आवेदन देने की बात कही. दोपहर नेनौद क्षेत्र में सड़क से लगे खाली मैदान में एक शव पड़े होने की सूचना मिली. मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान राजेन्द्र के रूप में की. परिवार का आरोप है कि जिस जगह शव मिला, वहीं उसका ऑटो भी पहले से खड़ा था, इसके बावजूद गांधीनगर पुलिस ने उसे लावारिस मानकर कोई जांच नहीं की. परिजनों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई होती तो राजेन्द्र की जान बच सकती थी. मृतक ने दो शादियां की थीं.

स्टार एयर की गोंदिया व अहमदाबाद की उड़ानें 31 जनवरी तक रद्द

- दिसंबर-जनवरी की बुकिंग कराने वाले यात्री परेशान
- वेबसाइट से हटाई गईं सभी फ्लाइट

नव भारत न्यूज

इंदौर. इंदौर से गोंदिया और अहमदाबाद के बीच हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ा झटका लगा है. स्टार एयर ने इन दोनों रूट की सभी उड़ानें 31 जनवरी तक निरस्त कर दी हैं, जिससे पहले से टिकट बुक करा चुके यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

एयरपोर्ट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत इंदौर से महाराष्ट्र के गोंदिया और गुजरात के अहमदाबाद के लिए उड़ान शुरू करने वाली स्टार एयर ने जनवरी माह के अंत तक अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है. कंपनी ने 31 जनवरी तक की इंदौर से संचालित होने वाली चारों उड़ानों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट से भी हटा दिया है. इस फैसले का असर उन यात्रियों पर पड़ा है, जिन्होंने दिसंबर और जनवरी माह के लिए पहले ही टिकट बुक करा रखे थे. अचानक उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को यात्रा योजनाएं बदलनी पड़ रही हैं. हालांकि, कंपनी द्वारा टिकट की राशि रिफंड की जा रही है.

शुरूआत से ही इन रूट्स पर बार-बार रद्द हो रही थीं उड़ानें- स्टार एयर ने 16 सितंबर से इंदौर से गोंदिया और बेंगलुरु के लिए उड़ानों की शुरूआत की थी. बाद में बेंगलुरु के स्थान पर अहमदाबाद के लिए उड़ान संचालित की गई,

फरवरी से फिर शुरू हो सकता है उड़ानों का संचालन

अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर 31 जनवरी तक उड़ानें बंद रखने की घोषणा कर दी है. वेबसाइट पर इंदौर से गोंदिया और अहमदाबाद के लिए बुकिंग 1 फरवरी से उपलब्ध दिखाई जा रही है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी से उड़ानों का संचालन फिर शुरू हो सकता है. उड़ानों के बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी गोंदिया जाने वाले यात्रियों को हो रही है, क्योंकि इंदौर से गोंदिया के बीच कोई अन्य सीधी फ्लाइट मौजूद नहीं है. जबकि, अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों के पास अन्य विकल्प उपलब्ध हैं.

ट्रैफिक नियम तोड़ने वाली बसों पर सख्ती, 20 के बनाए चालान

- बस स्टैंड पर अचानक ब्रीथ एनालाइजर जांच
- प्रतिबंधित इलाकों में खड़ी बसें बनीं कार्रवाई का कारण

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नियमों की अनदेखी करने वाली बसों पर शिकंजा कसा है. विशेष जांच अभियान के दौरान बस चालकों की लापरवाही सामने आने पर सख्ती बरतते हुए पुलिस ने चालानी कार्रवाई की.

अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में आकस्मिक ब्रीथ एनालाइजर जांच की. जांच में पाया गया कि कई बस चालक प्रतिबंधित क्षेत्रों में बसें खड़ी कर सवारियों को चढ़ा उतार रहे थे, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन रही थी. इसके अलावा कुछ बसों में तय क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठाई जा रही थीं. जांच में यह भी सामने आया कि कई चालक निर्धारित वर्दी में नहीं थे और बसों को अव्यवस्थित तरीके से खड़ा किया था. इन तमाम यातायात नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 20 बसों पर कार्रवाई की. ट्रैफिक पुलिस ने बस संचालकों और चालकों को साफ तौर पर चेताया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में वाहन खड़ा न करें और केवल निर्धारित स्थानों पर ही सवारियों को चढ़ाएं उतारें. साथ ही बसों में क्षमता से अधिक सवारी न बैठाने, शराब के नशे में वाहन न चलाने, चालक के वर्दी में रहने और यात्रियों से शालीन व्यवहार रखने की हिदायत दी है.

बिना हेलमेट वाले 802 वाहन चालकों पर कार्रवाई

इंदौर. शहर में सड़क हादसों के दौरान सिर में गंभीर चोट से होने वाली मौतों को रोकने और यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. विशेष अभियान के तहत नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई. हेलमेट के उपयोग को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. हाल ही में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान शहर के अलग अलग हिस्सों में चेकिंग की गई. जांच में बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए गए. ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए 802 दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की.

समस्या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद नगर निगम के जिम्मेदार नहीं कर रहे स्ट्रीट डॉग्स पर कार्रवाई

आवारा श्वान को लेकर निगम की सुस्ती एक बार फिर आई सामने

इंदौर. आवारा श्वानों (स्ट्रीट डॉग्स) को लेकर एक बार फिर से नगर निगम की सुस्ती सामने आई है, जबकि उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हो चुके हैं. लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद नगर निगम द्वारा आज तक बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है. पूरे शहर में गली-मोहल्लों में आवारा श्वानों की टोलियां कम नहीं हुई हैं.

मामला आवारा श्वानों से जुड़ा है, जहां डॉग बाईट के बढ़ते मामलों को देखते हुए जन सुरक्षा के लिए कुछ ही हफ्तों पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नगर निगम को आदेश दिया था कि स्ट्रीट डॉग पर अंकुश लगाया जाए, जिस पर शहर के महापौर द्वारा जल्द कार्रवाई करने की बात कही गई थी, वहीं नगर निगम की ओर से आवारा श्वानों की नसबंदी को लेकर उच्च न्यायालय के समक्ष बात रखी गई थी. इस पर उच्च न्यायालय ने आकड़ों के साथ शपथ पत्र मांगा है. उधर शहर के कई क्षेत्रों में स्ट्रीट डॉग्स बढ़ते ही जा रहे हैं. आवारा श्वान गली-मोहल्लों, कच्ची बस्तियों से अब कॉलानियों और पॉश इलाकों तक पहुंच रहे हैं. चौक-चौराहों के अलावा उद्यानों में भी आवारा श्वान घूमते नजर आते हैं, जबकि उद्यानों में शनिवार और रविवार को लोगों की बड़ी संख्या रहती है. ऐसे में डॉग बाईट का खतरा बढ़ जाता है. फिलहाल इसको लेकर नगर निगम द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है.

यह बोले नागरिक...

जिस तरह पालतू पशुओं को शहर से दूर किया गया, उन पर कार्रवाई के दौरान जमकर विरोध हुआ, फिर भी कार्रवाई नहीं रुकी और यह आवारा श्वान, जिनका कोई मालिक नहीं, फिर उन पर अंकुश लगाने में इतना विलंब क्यों हो रहा.

- विनीत यादव

कई वर्षों से डॉग बाईट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, फिर भी नगर निगम अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और इस ओर से लापरवाह बने रहे. अब जब कोर्ट के आदेश आ गए, फिर भी उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है. उन्हें जल्द कार्रवाई करना चाहिए.

- मुकेश कुमार वर्मा

बड़ी कार्रवाई जैसे पीली जीप दिन भर चक्कर लगाकर करती है, ठीक उसी तरह से श्वानों को पकड़ने के लिए दौड़ना होगा, इसमें जनता को भी सहयोग देना चाहिए, जहां आवारा श्वान दिखें तुरंत खबर करना होगी.

- शाकिर खान